



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 18168 सन् 2026

अनीश यादव उर्फ झगडू यादव एवं एक अन्य

.....आवेदक

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कमलेश कुमार तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तिवारी, राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) श्री छम्मन राम को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र मामला अपराध संख्या 04/2026, में बीएनएस की धारा 105, 115(2), 352, 351(3) एवं 3(5), थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदकों को झूठा फँसाया गया है। घटना 01.01.2026 की बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 02.01.2026 को दर्ज की गई। इस विलंब से अभियोजन की कहानी प्रभावित होती है। एफआईआर के अनुसार आवेदकों सहित दो अन्य अभियुक्तों पर प्रथम सूचनाकर्ता के भाई एवं भतीजे के साथ मारपीट करने का आरोप है। प्रथम सूचनाकर्ता के भाई की 09.01.2026 को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के सिर पर केवल एक चोट थी तथा डॉक्टर ने मृत्यु का कारण सिर की उक्त चोट से उत्पन्न कोमा बताया है। यह भी कहा गया कि आवेदकों को केवल सामान्य एवं अस्पष्ट भूमिका दी गई है। घायल के बयान में भी आवेदकों को वह मुख्य अभियुक्त नहीं बताया गया जिसने मृतक के सिर पर चोट पहुँचाई थी। आगे यह भी कहा गया कि सह-अभियुक्त अमित यादव जिसकी भूमिका आवेदकों के समान है, उसे इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14531 सन् 2026 में दिनांक 05.05.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत पाने के अधिकारी हैं। पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अब हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे 01.01.2026 से जेल में निरुद्ध हैं। यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विचारण में पूरा सहयोग करेंगे।
4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, अभियुक्तों की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़, विचारण न्यायालयों में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लंबित आपराधिक मामलों की अधिकता तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कपिल वधावन बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038) एवं इस न्यायालय के निर्णय माया तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य (2024 एससीसी आनलाइन इला० 6765) में जमानत संबंधी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदकगण- अनीश यादव उर्फ झगड़ू यादव एवं विनीत यादव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत मुचलका एवं समान राशि की दो-दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गवाह या मामले से परिचित व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या दबाव नहीं देंगे तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

(ii) आवेदक बिना अनावश्यक स्थगन माँगे, विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेंगे।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और न ही कोई नया अपराध करेंगे।

(iv) जमानत बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे।

7. यदि उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

8. जमानत बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय आवेदकों एवं उनके जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन करेगा।

9. संबंधित न्यायालय आवेदकों एवं उनके जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का भी सत्यापन करेगा।

10. विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदकों की शीघ्र रिहाई हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को भेजा जाए।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, पॉलिसी स्ट्रेटजी फार ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटो रिट पेटिशन संख्या 4 सन् 2021 में निर्णय दिनांक 31-01-2023, जिसे (2024) 10 एससीसी 685 और साथ ही साथ पिला पहन उर्फ पीला पहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 सन् 2025 जिसका निर्णय 29-05-2026 को हुआ, के मामलों के निर्णयों में दिए गए दिशानिर्देश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित गोरखपुर जेल अधीक्षक को ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से तथा विचारण न्यायालय को ई-मोड से 24 घंटे के भीतर भेजी जाए।

12. यदि कोई अन्य आवेदन लंबित हो तो वह भी निस्तारित किया जाता है।

दिनांक: 03 जून 2026

ए.कुमार

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Q1 di

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"